न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

कालूराम बनाम सरकार

तारीख हुक्म

मु0न0:– 103/2010 किप्पु0:– 136 एलआरएक्ट

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

15/3/14 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सूनी जा चुकी है। प्रकरण आज आदेश हेतु नियत है। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 1712/2 रकबा 2 बीधा 8 बिस्वा किस्म बारानी 3 वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाई माधोपुर में स्थित है। नामान्तकरण संख्या 272 निर्णय दिनांक 18.12. 1996 का नोट साबिक जमाबंदी में दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर 1712 का कुल रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा साबिक रिकार्ड के अनुसार था। उक्त साबिक ट्रेश में तरमीम भी नही हो पा रही है। प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि का भू प्रबंध अधिकारियो ने मौका निरीक्षण भी नही किया। प्रार्थीगण का पूर्वजो के समय से भौतिक कब्जा काश्त हाल खसरा नम्बर 2534 रकबा 45 ऐयर पर चला आ रहा है। मौके पर 2 बीघा 8 बिस्वा का एक चक के रूप में खेत बना रखा है। भू प्रबंध विमाग ने खसरा नम्बर 2534 साबिक खसरा नम्बर 1707 का होते हुऐ भी हाल खसरा नम्बर 2534 में साबिक खसरा नम्बर 1711 की भूमि भी समायोजन कर दी है एवं प्रार्थीगण को साबिक खसरा नम्बर 1712/2 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा मे से मात्र 35 ऐयर भूमि ही हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज की है। भू प्रबंध विभाग ने मुताबिक कब्जा नवीन तरमीम भी नही की है। जबकि साबिक खसरा नम्बर की प्रथम बार तरमीम की जाती है। तो मुताबिक भौतिक कब्जा देखकर ही तरमीम की जानी चाहिए थी। लेकिन भू प्रबंध विभाग ने मौका देखे बिना ही तरमीम की है। भू प्रबंध विभाग को साबिक जमाबंदी के रकवे में से भौतिक कब्जा काश्त होते हुऐ भी हाल जमाबंदी में रकवा कम दर्ज करके कानूनी प्रावधानो का उल्लघंन किया है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा नम्बर 2534 रकबा 45 ऐयर किस्म सिवायचक लगानी हाल जमाबंदी मे दर्ज है। हाल ट्रेसशीट के अनुसार खसरा नम्बर 2534 रकबा 45 ऐयर मे साबिक खसरा नम्बर 1711 की भूमि भी समायोजित कर दी है। हाल ट्रेसशीट से स्थिति पूर्णतया स्पष्ट है। इसलिये हाल खसरा नम्बर 2534रकबा 45 ऐयर मे से 25 ऐयर भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावें। क्योकि प्रार्थीगण का कदीमी समय से हाल खसरा नम्बर 2534 रकबा 45 ऐयर पर भौतिक कब्जा चला आ रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम आलनपुर तहसील सवाई माधोपुर से साबिक खसरा नम्बर 1712/2 मिन रकबा 2 बीधा 8 विस्वा एवं हाल खसरा नम्बर 2534 रकबा 45 ऐयर, खसरा नम्बर 2535 रकबा 35 ऐयर की मौके की व राजस्व रिकार्ड की तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर राजस्व रिकार्ड में निम्न प्रकार से दुरूस्ती फरमायी जावे कि हाल खसरा नम्बर 2534 रकबा 45 ऐयर मे से मुताबिक कब्जा 25 ऐयर का इन्द्राज सिवायचक से प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें। साबिक खसरा नम्बर 1712 रकबा 2 बीधा 8 विस्वा की भूमि को मुताबिक भौतिक कब्जा काश्त हाल खसरा नम्बर 2534, 2535 में इन्द्राज किया जावें।

- प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्रकरण से सम्बन्धित मौका एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि साबिक खसरा नम्बर 1712 का कुल रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा साबिक रिकार्ड के अनुसार दर्ज था। जो सही है। मुताबिक साबिक शीट में तरमीम नहीं हुआ है। वादीगण का हाल खसरा नम्बर 2534 रकबा 0.45 हैक0 मे से 0.25 हैक0 पर शुरू से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। पूर्व में वादीगण के नाम साबिक खसरा नम्बर 1712/2 रकबा 2 बीधा 8 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। जिसका नवीन सेटलमेंट के बाद नवीन खसरा नम्बर 2535 बनाकर कुल रकबा 0. 35 हैक0 भूमि खातेदारी में दर्ज की है जबकि 2 बीधा 8 बिस्वा का नवीन रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 15:09:09 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

के अनुसार 0.60 हैक0 बनता है। वादी का मौके पर भी खसरा नम्बर हाल 2534 मे 0.25 हैक0 व खसरा नम्बर 2535 रकबा 0.35 हैक0 पर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। जबकि हाल खसरा नम्बर 2534 को सिवायचक दर्ज कर दिया गया है, इस प्रकार खसरा नम्बर 2534 कुल रकबा 0.35 हैक0 मे से 0.25 हैक0 भूमि वादीगण के नाम इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना उचित है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 2534 रकबा 0.45 हैक0 की भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया है जबकि साबिक नक्शा शीट एवं हाल खसरा शीट का मिलान करने पर खसरा नम्बर 2534 रकबा 0.45 हैक0 भूमि मे से 0.25 हैक0 भूमि वादीगण के कब्जे काश्त की सीमा में स्थित है। उक्त भूमि के चारो और वादीगण की खातेदारी भूमि स्थित है। इस प्रकार से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 2534 को सिवायचक दर्ज किया जाना न्याय संगत प्रतीत नही होता है। अतः साबिक व हाल रिकार्ड साबिक व हाल नक्शा शीट व वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार वादपत्र में अंकित तथ्य सही है। जिसके मुताबिक वादी के साबिक खसरा नम्बर 1712/2 मि0 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा का इन्द्राज नवीन रिकार्ड जमाबंदी में खसरा नम्बर 2535 रकबा 0.35 हैक0 ही दर्ज किया गया है, जबकि वादी का 2534 रकबा 0.45 हैक0 मे से 0.25 हैक0 भूमि मुताबिक साबिक रिकार्ड में नवीन जमाबदीं में खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित रहेगा।

- प्रकरण में वकील प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्व की भूमि साबिक खसरा नंबर 1712/2 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। साबिक खसरा नंबर 1712 का कुल रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा साबिक रिकार्ड के अनुसार था । साबिक ट्रैस शीट प्रार्थनापत्र में सलग्न है जिसमे तरमीम भी नहीं हो रही है । प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि का भू प्रबंध अधिकारियों ने मौका निरीक्षण भी नहीं किया । प्रार्थीगण का पूर्वजों के समय से भौतिक कब्जा काश्त हाल खसरा नंबर 2534 रकबा 45 एयर पर चला आ रहा है। मौके पर 2 बीघा 8 बिस्वा का एक चक के रूप में खेत बना रखा है । भू प्रबंध विभाग ने खसरा नंबर 2534 साबिक खसरा नंबर 1707 का होते हुए भी हाल खसरा नंबर 2534 में साबिक खसरा नंबर 1711 की भूमि भी समायोजित कर दी एवं प्रार्थीगण का साबिक खसरा नंबर 1712/2 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा में से मात्र 35 एयर भूमि ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज की है । हाल जमाबंदी मय ट्रैस शीट प्रार्थना पत्र में सलग्न है । भू प्रबंध विभाग के मुताबिक करना नवीन तरमीम भी नहीं की है। जबकि साबिक खसरा नंबर की प्रथम बार तरमीम की जाती है तो मुताबिक भौतिक कब्जा देख कर ही तरमीम की जानी चाहिए थी, लेकिन भू प्रबंध विभाग ने मौका देखे बिना ही तरमीम की है एवं भू प्रबंध विभाग के साबिक जमाबंदी के रकबे में से भौतिक कब्जा कारत होते हुए भी हाल जमाबंदी में रकबा कम दर्ज करते हुए कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिए भू प्रबंध विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को दुरुस्त करने क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है । प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा नंबर 2534 रकबा 45 एयर किस्म सिवायचक लगानी हाल जनाबंदी में दर्ज है हाल ट्रेस शीट के अनुसार खसरा नंबर 2534 रकबा 45 एयर मे से साबिक खसरा नंबर 1711 की भूमि भी समायोजित कर दी है ।हाल ट्रैस शीट से स्थिति पूर्णतया स्पष्ट है प्रार्थीगण हाल खसरा नंबर 2534 रकबा 45 एयर में से 25 एयर कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे । क्योंकि प्रार्थीगण का कदीमी समय से हाल खसरा नंबर 2534 रकबा 45 एयर पर भौतिक कब्जा चला आ रहा है जिसकी ताईद हाल खसरा नंबर व ट्रैस शीट से होती है। क्योंकि हाल खसरा नंबर 2534 के चारों और प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 2535, 2552, 2540, 2548, 2549, 2540/3228 भूमि स्थित है। इसलिए कृषि भूमि के बीच में सिवायचक भूमि होने का प्रश्न ही नही उठता। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त प्रकरण से इन्द्राज दुरूस्त किया जावें।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damod
Date: 2025.09.11 15:00:09
Reason: SelfAttested

- प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की बहस सूनी। तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम आलनपुर साबिक खसरा नम्बर 2534 रकबा 0.45 हैक0 मे से 0.25 हैक0 भूमि मुताबिक साबिक रिकार्ड में नवीन जमाबदीं में खातेदारी में दर्ज किये जाने के आशय से पेश किया है। परन्तु प्रार्थी ने उक्त प्रकरण धारा 136 एलआरएक्ट में पेश किया गया जो सही नही है क्योकि धारा 136 एलआरएक्ट का दायरा छोटा होता है। उक्त प्रकरण को गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण के आधार पर ही इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदारी की घोषणा की जा सकती है। परन्तु प्रार्थी ने उक्त प्रकरण धारा 136 एलआरएक्ट में पेश किया जो सही नही है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नही होता है। अतः प्रार्थीगण वाद दायर कर उक्त प्रकरण में अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दफ्तर दाखिला हो।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 15:00:09 IST
Reason: SelfAttested